न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 19/24 सन् 2024

GCMS NO-2024/ 102

बउनवानी:—1. नगर विकास न्यास जरिये सचिव नगर विकास न्यास,सवाईमाधोपुर

बनाम

1. अब्दुल अजीज पुत्र छोटे खॉ निवासी आलनपुर तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 2756 दिनांक 22.12.2023 वाके ग्राम आलनपुर तह0 सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित:—	
1. श्री अब्दुल हासिब	वकील अपीलान्ट
2. श्री आशिष कुमार जैन	वकील रेस्पो. संख्या 1
2. श्री विष्णु माथुर(नायब तहसीलदार)	सरकार पैरोकार

—: निर्णय :— दिनांक 26.11.2024

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर के द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 2756 निर्णय दिनांक 22.12.2023 वाके ग्राम आलनुपर तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अब्दुल अजीज पुत्र छोटे खॉ निवासी आलनपुर तहसील सवाईमाधोपुर ने उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष बउनवानी प्रकरण अब्दुल अजीज बनाम लेण्ड होल्डर व अन्य बनवानी प्रकरण संख्या 120/2020 दावा बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिसमे दिनांक 19.4.2021 को निर्णय व डिक्री पारित करते हुए रेस्पो. संख्या 2 को आदेशित किया कि राजस्व ग्राम आलनपुर के हाल ख0न0 2854 रकबा 0.23 है0 ख0न0 2855 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.25 है0 को नगर विकास न्यास के नाम दर्ज करने एवं ख0न0 2835 रकबा 0.28 है0 मे से 0.25 है0 भूमि रेस्पो0 संख्या 1 के नाम साकिन देह गैर खातेदार के रूप मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे किन्तु रेस्पो. संख्या 2 ने रेस्पो. संख्या 1 के पक्ष में गलत तरीके से गैर खातेदार के बजाय खातेदार का नामा0 संख्या 2756 दिनांक 22.12.2023 को तस्दीक कर दिये जाने से आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अदालत मातहत/रेस्पो. संख्या 2 ने ख0न0 2835 रकबा 0.28 है0 मे से रकबा 0.25 है0 भूमि वाके ग्राम आलनपुर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में नामा0 संख्या 2756 दिनांक 22.12.2023 को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार के रूप में गलत तरीके सो स्वीकृत किया हैं क्योकि उक्त नामा0 दर्ज फैसल करते समय राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति की सही प्रकार से जॉच नही की गयी है ओर उपजिला कलेक्टर के निर्णय एवं डिक्री का भी सही प्रकार से अवलोकन नही किया गया है तथा निर्णय व डिक्री की गलत व्याख्या कर [illegible] को आधार मानते हुए गलत तरीके से आदेश जैर अपील तस्दीक कर अहम भूल [illegible] जो निरस्त योग्य है। आदेश जेर अपील मे वर्णित आराजीयात ख0न0 2835 अपीलान्ट के [illegible] आधिपत्य की है जिसके लिए आवासीय प्रयोजनार्थ भू0 उपयोग परिवर्तन करने बाबत [illegible] 2825,2826,2827,2835 कुल रकबा 1.00 है0 भूमि वाके ग्राम आलनपुर के [illegible]/स.मा./2014/198[illegible] दिनांक 4.12.2015 को सार्वजनिक आपत्ति नोटिस जारी किये गये [illegible]का प्रकाशन राज्य स्तरीय [illegible] दैनिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:00:49 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

समाचार पत्रों क्रमश दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका में किया गया किन्तु कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। ख0न0 2835 की भूमि नगर विकास न्यास के गठन से पूर्व ही सरकारी सिवायचक भूमि दर्ज है, इस प्रकार अपीलान्ट का भौतिक, वास्तविक, सतत और निर्बाध रूप से स्वामित्व चला आ रहा है जिसमे किसी प्रकार का परिवर्तन का अधिकार अदालत मातहत को प्राप्त नही है। अतः आदेश जैर अपील विधिविरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो0 ने द्वौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित्त आदेश जैर अपील विधिसम्मत है क्योकि मु0न0 120/2020 उनवानी अब्दुल अजीज पुत्र छोटे खॉ निवासी आलनपुर बनाम तहसीलदार सवाईमाधोपुर मे तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट में यह अंकित किया है हाल ख0न0 2854 रकबा 0.23 है0 ख0न0 2855 रकबा 0.02है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.25 है0 जो कि रेस्पो0 अब्दुल अजीज पुत्र छोटे खॉ नाई मुसलमान सा.देह गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है को नगर विकास सवाईमाधोपुर के नाम एवं ख0न0 2835 रकबा 0.28 मे से 0.25 है0 भूमि रेस्पो0 अब्दुल अजीज पुत्र छोटे खां नाई मुसलमान के नाम सा. देह खातेदार किया जाना उचित होगा। उक्त रिपोर्ट के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री 19.4.2021 जारी की गयी तथा उक्त निर्णय व डिक्री की पालना मे आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 2756 दर्ज फैसल किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट तथ्यो के विपरीत होने के कारण खारिज किये जाने बाबत वकील रेस्पो. द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभय पक्षो द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि आदेश जैर अपील इसलिए निरस्त योग्य है,क्योकि ख0न0 2835 रकबा 0.28 मे से 0.25 है0 भूमि अब्दुल अजीज के नाम खातेदारी का नामा0 भरकर दर्ज फैसल करने का कोई तर्क नही पाया गया है, जबकि उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.4.2021 मे उक्त ख0न0 को रेस्पो0 अब्दुल अजीज की गैर खातेदारी मे दर्ज करने बाबत आदेश दिये गये है। रेस्पो0 ने यह कथन किया कि दो प्रकार के आदेश पारित किये गये है जिन्हे मर्ज कर एक ही नामा0दर्ज किया गया है परन्तु यह नियमो मे नही है। उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश के विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के यहॉ अपील प्रस्तुत की गयी है, एवं रिकार्ड एवं मौके की जॉच न किये जाने संबंधी तथ्यों के संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाऐगा परन्तु न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत इस प्रकरण मे नामा0 के विधिविरूद्व/विधिसम्मत होने संबंधी तथ्यों पर ही विचार किया जाना है। अतः नामा0 संख्या 2756 दिनांक 22.12.2023 विधिविरूद्व होने से हम आदेश जैर अपील खारिज किया जाना उचित मानते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील (नामा0 संख्या 2756 निर्णय दिनांक 22.12.2023) खारिज किया जाता है

निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:00:49 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner